

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
वित्त विभाग।

सेवा में,

सुप-निदेशक (प्रशासन)  
एनओएचएम, हरियाणा  
पंचकुला।

यादि क्रमांक 117/10/2019-अएफओआरओ/11710  
दिनांक 26/5/19

Sub-

Grant of Maternity Leave to Women Government Employees.

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक

NHM/Admn/Misc./2019/11005 दिनांक 27.03.2019 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि वित्त विभाग की जारी दिवायत दिनांक 28.05.2018 में स्वतः स्थापित प्रावधान है कि किसी भी महिला कर्मचारी को 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर 8 मास का अवकाश पूरे वेतन के साथ दिया जाना बनता है।

शजिन्द कुमार

अधीक्षक वित्त विनियम

कृते अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार  
वित्त विभाग।

Estabment

OK  
27/5/19

30/5/19  
3022  
014/19

OK  
27/5/19

47  
1915